

दिनांक : 08/03/2019

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
 उत्तराखण्ड चुनाव आयोग,
 देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि मैं, भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ व मेरा नाम राकेश गैरोला पुत्र स्व० श्री पिताम्बर दत्त गैरोला, निवासी-अशोक विहार, लेन नं० 2 अजबपुर कलां, देहरादून, उत्तराखण्ड है।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मुझे निम्न सूचना प्रपत्र द्वारा अवगत कराने का कष्ट करें।


1. कांग्रेस पार्टी का मान्यता प्राप्त चुनाव चिन्ह क्या है ?
2. कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव चिन्ह में तिरंगे का प्रयोग क्यों करती है ? क्या तिरंगे के प्रयोग की अनुमति भारतीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को दी है ?
3. कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय तिरंगे को चुनाव चिन्ह में प्रयोग करने पर उत्तराखण्ड चुनाव आयोग क्या कानूनी कार्यवाही करेगा ?

कृपया उपरोक्त सूचना मेरे निम्न पते पर प्रपत्र द्वारा प्रेषित करने की कृपा करें।

आर०टी०आई० शुल्क रु० 10/- संख्या (फैस्ट अड्डे) ५६६..... ३६४६३५..... आपकी सेवा में प्रेषित है।

धन्यवाद।

प्रार्थी,



राकेश गैरोला
 पुत्र स्व० श्री पी०डी०गैरोला
 अशोक विहार, लेन नं० 2
 अजबपुर कलां, देहरादून, उत्तराखण्ड।
 मो०-8171960485

ईमेल – rakeshgairola8@gmail.com
 मतदाता सं० – FCP3192580

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून— 248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

फोन नं ०१३५) — २७१३७६०, २७१३५५१
फैक्स नं ०१३५) — २७१३७२४

संख्या: १२२९ / XXV-12(P-7)/2008

देहरादून:

दिनांक १९ मार्च, 2019.

सेवा में,

श्री राकेश गैरोला,
पुत्र स्व० श्री पी०डी० गैरोला
अशोक विहार, लेन नं० २
अजबपुर कलां, देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक ०८.०३.२०१९ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, २००५ के अन्तर्गत सन्दर्भित सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त संबंध में चाही गयी वांछित सूचना प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या-०१	कार्यालय में धारित नहीं है।
बिन्दु संख्या-०२	कार्यालय में सूचना उपलब्ध नहीं है।
बिन्दु संख्या-०३	कार्यालय में धारित नहीं है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,


(डी०पी० डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी